न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 23/2017

प्रार्थीः—

1. लक्ष्मण पुत्र पुनमा जी जाति घांची उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. डाया पुत्र पुनमा जी
2. सोनाराम पुत्र पुनमा जी जातिगण घांची निवासीगण दयालपुरा तहसील व जिला पाली (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः—

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 व 2।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—:निर्णयः— दिनांक 27-01-2020

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जासुदा, काश्तसुदा, खातेदारी हक अधिकार की कृषि भुमि नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि ग्राम दयालपुरा तहसील पाली में स्थित हैं। उक्त कृषि भुमि प्रार्थी को एलोट हुई थी तब से उक्त कृषि भुमि पर करीब 40 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा काश्त रहता आ रहा है। उक्त कृषि भुमि पर एक मात्र कब्जा काश्त प्रार्थी का ही हैं प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपने पैतृक कृषि भुमि खसरा नम्बर 732/102 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा के संदर्भ में बंटवाड़ा का दावा किया हुआ है उक्त बंटवाड़े के दावे से नाराज होकर अप्रार्थीगण प्रार्थी को मालिकाना हक की खातेदारी की उक्त कृषि भुमि के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप कर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है इस परिपेक्ष मे यह स्थगन आवेदन पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भुमि मौके पर तरमीमसुदा अलग से स्थित है उक्त कृषि भुमि परर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक अधिकार को कृषि भुमि मे व्यवधान करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी अपने हक की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई प्रार्थी भविष्य मे रूपयों पैंसो से नही कर सकेगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के परिवार की महिला सदस्य प्रार्थी जब भी अपनी कृषि भुमि पर कृषि कार्य के लिये जाता है तो आढे फिर जाती है तथा प्रार्थी को कृषि कार्य नही करने देती है तथा प्रार्थी व उसके कृषक व टैक्टर चालक को महिला कानून के झुठे मुकदमे मे फसाने की धमकीया देती है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भुमि को हड़पने पर आमदा है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भुमि से बेदखल करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी के वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे ऑन रेकर्ड सिद्ध है।

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि मुल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावें कि प्रार्थी की खसरा नंबर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि जो मौजा दयालपुरा तहसील पाली में स्थित है की कृषि भुमि पर प्रार्थी द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य मे अप्रार्थीगण एवं इनके घर की महिला सदस्य किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे न ही प्रार्थी को कृषि कार्य करने से रोके न ही किसी प्रकार से प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की कब्जा काश्त की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे न ही उक्त कृत्य अप्रार्थीगण के नौकर, मजदुर, एजेन्ट रिश्तेदार इत्यादि से ही करावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा आज ही जारी फरमावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत होने से अस्वीकार है कि उसकी कब्जासुदा, काश्तसुदा खातेदारी खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि ग्राम दयालपुरा तहसील पाली में स्थित है। ये बात सही है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को ऐलोट हुई थी। लेकिन यह कथन गलत होने से अस्वीकार है कि ऐलोट हुई तब से उक्त कृषि भूमि पर करीब 40 वर्षो से उसका कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान मे भी उक्त कृषि भूमि पर करीब 40 वर्षो से उसका कब्जा काश्त रहा है वर्तमान मे भी उक्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रार्थी का नहीं है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उससे छोटे थे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पुनमा जी के जीवनकाल में पुनमा जी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी परिवार में बड़ा पुत्र होने के कारण उसके नाम से ऐलोट करवाई थी। मारवाड़ मे यह परम्परा भी है कि परिवार में जो बड़ा बेटा होता है वही कर्ता खानदान होता है तथा पिता अपने बड़े पुत्र पर विश्वास व भरोसा कर चल एवं अचल सम्पत्ति उसके नाम से ही करवाता आया है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी के पिता के मृत्यु हो जाने के बाद उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी अकेला हड़प करना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पुनमा जी ने अपने तीनो पुत्रों को अलग अलग कर दिया था तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मौके पर बराबर हिस्से में बाटकर कब्जा करवा लिया था। उस बंटवारे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 732/102 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा के संबंध मे दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण न तो प्रार्थी से नाराज है और न ही प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में दखल कर रहे हैं। प्रार्थी से नाराज है और न ही प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में दखल कर रहे हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत दावा पेश किया है। प्रार्थी ने गलत तथ्ये अंकित किये है। खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (तीनों भाईयों के बीच) बंटी हुई है जो अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। अप्रार्थीगण का कोई कृत्य विधि विरूद्ध नहीं है। उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति होने वाली नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 न तो स्वयं और न ही उनकी महिलाएं प्रार्थी को रोक टोक करती हैं न ही उनके ओड़े फीरते है न किसी भी प्रकार की कोई धमकी दी है न ही किसी प्रकार की कोई झुठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज है। इस 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी को न तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 और न ही उनके

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

परिवार की महिला सदस्य रोक रही है। प्रार्थी ने बिलकुल झुठा, मनघड़न्त अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियम से झुठा दावा पेश किया है। प्रार्थी 1/3 हिस्से पर काबिज है। उसके 1/3 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। न तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया सफल होने योग्य है न ही प्रार्थी को अकथनीय क्षति होने वाली है और न ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

4- बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जासुदा, काश्तसुदा, खातेदारी हक अधिकार की कृषि भुमि नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि ग्राम दयालपुरा तहसील पाली में स्थित है। उक्त कृषि भुमि प्रार्थी को एलोट हुई थी तब से उक्त कृषि भुमि पर करीब 40 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा काश्त रहता आ रहा है। उक्त कृषि भुमि पर एक मात्र कब्जा काश्त प्रार्थी का ही हैं प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपने पैतृक कृषि भुमि खसरा नम्बर 732/102 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा के संदर्भ में बंटवाड़ा का दावा किया हुआ है उक्त बंटवाड़े के दावे से नाराज होकर अप्रार्थीगण प्रार्थी को मालिकाना हक की खातेदारी की उक्त कृषि भुमि के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप कर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है इस परिपेक्ष मे यह स्थगन आवेदन पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भुमि मौके पर तरमीमसुदा अलग से स्थित है उक्त कृषि भुमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि मुल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावें कि प्रार्थी की खसरा नंबर 102/1 रकबा 13 बींघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भुमि जो मौजा दयालपुरा तहसील पाली में स्थित है की कृषि भुमि पर प्रार्थी द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य मे अप्रार्थीगण एवं इनके घर की महिला सदस्य किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे न ही प्रार्थी को कृषि कार्य करने से रोके न ही किसी प्रकार से प्रार्थी की उक्त मालिकाना हक की कब्जा काश्त की कृषि भुमि के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे न ही उक्त कृतय अप्रार्थीगण के नौकर, मजदुर, एजेन्ट रिश्तेदार इत्यादि से ही करावें।

6- बहस के द्वौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उसकी कब्जासुदा, काश्तसुदा खातेदारी खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि ग्राम दयालपुरा तहसील पाली में स्थित उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को ऐलोट हुई थी। लेकिन यह कथन गलत होने से अस्वीकार है कि ऐलोट हुई तब से उक्त कृषि भूमि पर करीब 40 वर्षो से उसका कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उससे छोटे थे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पुनमा जी के जीवनकाल में पुनमा जी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी परिवार में बड़ा पुत्र होने के कारण उसके नाम से ऐलोट करवाई थी। मारवाड़ मे यह परम्परा भी है कि परिवार में जो बड़ा बेटा होता है वही कर्ता खानदान होता है तथा पिता अपने बड़े पुत्र पर विश्वास व भरोसा कर चल एवं अचल सम्पत्ति उसके नाम से ही करवाता आया है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी के पिता के मृत्यु हो जाने के बाद उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थी अकेला हड़प करना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पुनमा जी ने अपने तीनो पुत्रों को अलग अलग कर दिया था तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मौके पर बराबर हिस्से में बाटकर कब्जा करवा लिया

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

था। उस बंटवारे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज है। खसरा नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (तीनों भाईयों के बीच) बंटी हुई है जो अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। तथा निवेदन किया कि उक्त कृषि भुमि पर मुझे स्टे मिला हुआ है और लक्ष्मण ने थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर पाली मे मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें राजीनामा हुआ की सब 1/3 पर काबिज रहें। इस कारण से प्रार्थीगण का वाद पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य है।

7- पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन करने के बाद पाया कि प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उसी जमीन पर क्लेम कर है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जो स्टे होना बताया है उस संबंध मे किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनिय म, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम दयालपुरा कृषि भुमि नम्बर 102/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वले मे प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे, अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं किसी भी रूप में बेचाण हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिती बनाये रखे। उक्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.31 14:34:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: